

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE  
Extra-ordinary Part IV)  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENT  
'C' WING, 6<sup>TH</sup> FLOOR, DELHI SECRETARIAT,  
NEW DELHI-110002

New Delhi, 16-08-2016

NOTIFICATION

No. F. 12(508)/Env./Ban on Manja/2015/3494-3510 . - The following draft of notification which the Hon'ble Lieutenant Governor proposes to issue in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), sub- rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 667 (E) dated the 10<sup>th</sup> September, 1992, is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period sixty days from the date on which copies of the Delhi Gazette containing this notification are made available to the public together with any objections or suggestions that may be received in respect thereto within the stipulated period.

Objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Department of Environment, Government of National Capital Territory of Delhi, 6<sup>th</sup> Level, 'C'-Wing, Delhi Secretariat, I.P Estate, New Delhi-110002.

DRAFT

"WHEREAS, ARTICLE 48-A OF The Constitution of India, inter-alia envisages Protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wild life. - The state shall endeavor to protect and improve the



environment and to safeguard the forests and wild life of the country;

AND WHEREAS, you are aware that during the kite flying, a lot of injury is caused to the people and birds on account of Pucca Thread made out of plastic or similar such synthetic material commonly known as Chinese Thread. These injuries many a times turn out to be fatal causing death of people and birds. It is, therefore, desirable to protect the people and birds from the fatal effects of the kite thread made out of plastic or synthetic thread as Chinese thread;

AND WHEREAS, during kite flying several kites get cut in the sky as a consequence of kite competition or otherwise. All these cut threads along with the kites remain on the land. Because of the very long life of the plastic materials and being non-biodegradable in nature, these threads continue to be causing problems such as blockage of sewers, drainage lines, natural waterways such as rivers, streams etc. and suffocation of cows and other animals also who eat food items alongwith such plastic materials. Thus the impacts of such plastic materials used for making thread commonly known as Chinese thread are many and varied;

AND WHEREAS, extensive use of such Chinese thread which are non-biodegradable, conductors of electricity often result in flash-over on the power lines and substations, which may cause power interruptions to consumers, straining and damaging electrical assets, causing accidents, injuries and loss of life;

AND WHEREAS, it is also a well known fact that the activity of the birds is at peak during 6:00 AM to 8:00 AM in morning and from 5:00 PM to 7:00 PM in evening and it is desirable to protect the innocent birds including the vultures which are getting extinct day by day and classified as rare and endangered species, and need to protect them from the fatal manja;

Therefore, in order to prevent adverse effects on human beings, cattle population, soil and ecology and in exercise of the powers conferred by section



5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. SO 667 (E) dated 10<sup>th</sup> September, 1992, the Hon'ble Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby directs the following:-

1. There shall be complete ban on the sale, production, storage, supply and use of nylon, plastic and Chinese manja and any other kite-flying thread that is sharp or made sharp such as by being laced with glass, metal or other sharp objects in National Capital Territory of Delhi.
2. Kite flying shall be permissible only with a cotton thread/ natural fibre free from any metallic/ glass components.

This notification shall come into force on the date of its final publication in the Delhi Gazette.

Note : The violation of directions issued under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, or the rules made thereunder shall be punishable under section 15 of the said Act which include imprisonment upto five years and / or with fine which may be extended to Rs. One Lac or with both.

By order and in the name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,



**(Chandraker Bharti)**

**Secretary (Environment & Forests)**

To

1. The Divisional Commissioner, Govt. of NCT of Delhi
2. All Municipal Commissioners, Delhi
3. The Police Commissioner, Delhi
4. All District Magistrates, Govt. of NCT of Delhi



**(Chandraker Bharti)**

**Secretary (Environment & Forests)**

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
पर्यावरण विभाग  
छठा तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-110 002.

सं0फा0: 12(508)/पर्या0/मांझा पर प्रतिबंध/2015 | 3494-3510

दिनांक: 16.08.2016

अधिसूचना

सं0फा0: 12(508)/पर्या0/मांझा पर प्रतिबंध/2015/ :- पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 10 सितम्बर, 1992 की अधिसूचना सं0 एस ओ 667 (ड) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय उपराज्यपाल, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप जारी करना प्रस्तावित करते हैं जिन्हें इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना है तथा इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तिथि से साठ दिन की अवधि के बीतने के बाद निर्धारित अवधि तक इस संबंध में प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा जिस तिथि से इस अधिसूचना वाले दिल्ली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध हों।

इस संबंध में आपत्तियां या सुझाव सचिव, पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, छठा तल -सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-02 को सम्बोधित किए जा सकेंगे।

प्रारूप

“जबकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48-क में अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा वन एवं वन्यजीवन की सुरक्षा पर विचार किया गया है।- राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा वन एवं वन्यजीवन की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा;

और जबकि, आपको ज्ञात है कि पतंग उड़ाने के दौरान लोगों और पक्षियों को काफी चोटें लगती हैं, ऐसा प्लास्टिक या अन्य सिन्थेटिक सामग्री से बने पक्का धागा, जिसे चीनी धागे के नाम से जाना जाता है, के प्रयोग के कारण होता है। ये चोटें कई बार लोगों तथा पक्षियों के लिए प्राण-घातक सिद्ध होती हैं; अतः इसलिए प्लास्टिक या सिन्थेटिक सामग्री से बने पतंग के चीनी धागों के दुष्प्रभाव से लोगों तथा पक्षियों को बचाना अपेक्षित है;

और जबकि पतंग उड़ाने के दौरान पतंग प्रतियोगिता या अन्य प्रकार से आसमान में अनेक पतंगें कट जाती हैं। यह कटा हुआ धागा पतंग के साथ जमीन पर पड़ा रहता है। प्लास्टिक सामग्री की लम्बी जीवन अवधि तथा गैर-विघटनशील होने के कारण सीवरों, नालियों, प्राकृतिक जल मार्गों जैसे नदियों, नहरों आदि को अवरुद्ध करने जैसी अनेक समस्यायें उत्पन्न होती हैं तथा ऐसी प्लास्टिक सामग्री के साथ भोजन खाने वाली गायों और अन्य जानवरों के दम घुटने जैसी समस्याये भी पैदा हो रहीं हैं। चीनी धागा बनाने में प्रयोग की जाने वाली इस प्लास्टिक सामग्री के अनेक और विविध दुष्प्रभाव हैं;

सचिव

और जबकि इस चीनी धागे से जो गैर-विघटनशील और बिजली सुचालक होता है, इसके प्रयोग से बिजली की लाईनों तथा सबस्टेशनों पर बिजली कट जाती है जिससे उपभोक्ता की बिजली कटौती होती है, विद्युतीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है, दुर्घटनायें होती हैं, चोटें लगती हैं और जीवन हानि होती है;

और जबकि, यह सर्वविदित है कि प्रातः छः बजे से आठ बजे और सांय पांच बजे से सात बजे के दौरान पक्षियों की गतिविधियां अधिकाधिक होती हैं मासूम पक्षियों और दिन प्रतिदिन समाप्त होते जा रहे गिद्धों जिन्हें दुर्लभ और विलुप्त प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है को इस प्राण-घातक मांझे से बचाकर रखने की आवश्यकता है;

इसलिए मानवता, पशुधन, मृदा और पारिस्थितिकी पर होने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 10 सितम्बर, 1992 की अधिसूचना सं. एसओ 667(ई) के साथ पठित पर्यावरण(संरक्षण)अधिनियम, 1986(1986का 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल निम्न निदेश देते हैं:-

1. नायलोन, प्लास्टिक और चीनी मांझा तथा ऐसे अन्य पतंग उड़ाने वाले धागे जो धारदार या शीशे, धातु या अन्य धारदार सामग्री से पतंग उड़ाने के लिए बनाए जाते हैं ऐसे पतंग उड़ाने वाले धागों की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में बिक्री, उत्पादन, भण्डारण, आपूर्ति एवं प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा।
2. केवल सूती धागे/प्राकृतिक रेशे जो कि किसी धातु/शीशे के घटकों से रहित हैं उन्हीं से ही पतंग उड़ाने की अनुमति होगी।

यह अधिसूचना दिल्ली राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन से लागू होगी।

नोट:- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत जारी निर्देशों का उलंघन उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन दंडनीय है जिसमें पांच साल तक कारावास तथा/अथवा एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली  
के उपराज्यपाल के नाम पर तथा आदेश से,

चन्द्राकर भारती

(चन्द्राकर भारती)  
सचिव (पर्यावरण एवं वन)

प्रतिलिपि:-

1. मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
2. समस्त निगम आयुक्त, दिल्ली।
3. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।

चन्द्राकर भारती

(चन्द्राकर भारती)  
सचिव (पर्यावरण एवं वन)